भारत संघ एवं अन्य.

बनाम

गोपाल मीना एवं अन्य.

सिविल अपील सं. 2010 का 3314

निर्णय की तिथि: 10/08/2022

[बेंच: हेमंत गुप्ता न्यायमूर्ति**.** और विक्रम नाथ न्यायमूर्ति**.]**

निर्णय: हेमन्त गुप्ता, न्यायमूर्ति.

1. वर्तमान तीन अपीलें भारत संघ द्वारा प्रस्तुत की गई हैं; दो अपीलें अर्थात्. 2010 की सिविल अपील संख्या 3314 और 2010 की सिविल अपील संख्या 5933, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसकी पुष्टि दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने की है, जिसमें सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय में निरीक्षक के पद से अधीक्षक के पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिए अलग–अलग क्षेत्र पर विचार करने का निर्देश दिया गया है, जबकि सिविल अपील संख्या 2010 की 9436 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह के निर्देश, लेकिन सूबेदार मेजर स्टेनोग्राफर के पद से असिस्टेंट कमांडेंट का पद पर पदोन्नति के लिए भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के संबंध में निर्देश के खिलाफ निर्देशित है।

2. संक्षिप्तता के लिए, तथ्यों को 2010 की सिविल अपील संख्या 3314 से उद्धृत किया गया है। अनुसूचित जनजाति से संबंधित आवेदकों की शिकायत यह थी कि अधीक्षक के पद के लिए रिक्तियों का बैकलॉग है , इस कारण से भरा नहीं गया है कि विचाराधीन क्षेत्र में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, अधीक्षक के 29 पदों को भरने के लिए यह प्रार्थना की गई कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए एक अलग विचार क्षेत्र बनाया जाए ताकि उनके लिए अधीक्षक के कैडर में रिक्तियां भरी जा सकें।

3. न्यायाधिकरण ने पाया कि कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.9.1983 जिसने विचार के क्षेत्र को पदों के पांच गुना तक सीमित कर दिया था, वह अवैध है। **यू.पी. राज्य विद्युत परिषद एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ बनाम यू.पी. राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य** में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर भरोसा किया गया था। **सी.डी. भाटिया और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य , और बासुदेव अनिल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य**, जिसमें विचार क्षेत्र को प्रतिबंधित करने वाला दिनांक 30.9.1983 का कार्यालय ज्ञापन अवैध पाया गया।

4. न्यायालय का ध्यान पिछले कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.12.1980 की ओर आकर्षित किया गया था जिसमें विचार किया गया था कि विचार का क्षेत्र रिक्तियों की संख्या से पांच गुना तक बढ़ाया जा सकता है और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों (और किसी अन्य को नहीं) को विस्तारित दायरे में रखा जा सकता है। पसंद के क्षेत्र पर भी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार किया जाना चाहिए। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

"(ए) विभाग पदोन्नति समिति (डीपीसी) उन अधिकारियों की संख्या निर्धारित करने के उद्देश्य से, जिन्हें फीडर ग्रेड में उन पात्र अधिकारियों में से माना जाना चाहिए, वर्ष में भरी जाने वाली प्रस्तावित स्पष्ट नियमित रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में पसंद के क्षेत्र को निम्नानुसार प्रतिबंधित करेगी।

रिक्तियों की संख्या	विचार किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या
(1)	(2)
1	5
2	8
3	10
4 या अधिक	रिक्तियों की संख्या का तीन गुना

(बी) हालांकि, जहां फीडर ग्रेड में पात्र अधिकारियों की संख्या उपरोक्त कॉलम (2) में संख्या से कम है, वहां सभी पात्र अधिकारियों पर विचार किया जाना चाहिए।

(सी) जहां उपरोक्त पसंद के सामान्य क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में एससी/एसटी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, वहां पसंद के क्षेत्र को रिक्तियों की संख्या से 5 गुना तक बढ़ाया जा सकता है और एससी/एसटी उम्मीदवारों (और कोई अन्य नहीं) को शामिल किया जा सकता है। पसंद के विस्तारित क्षेत्र के भीतर, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

उपरोक्त उप पैरा (ई) के तहत पसंद के विस्तारित क्षेत्र से उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ पदोन्नति के लिए चयनित एससी/एसटी से संबंधित अधिकारियों को, हालांकि पसंद के सामान्य क्षेत्र के भीतर से चुने गए अन्य सभी अधिकारियों के नीचे रखा जाएगा। "

5. इसके बाद, पूर्व कार्यालय ज्ञापन दिनांक 6.4.1979 के संदर्भ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करने के लिए तदर्थ पदोन्नति को विनियमित करने के लिए 30.4.1983 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। प्रासंगिक खंड इस प्रकार पढ़ते हैं:

"3.चूंकि तदर्थ पदोन्नति वरिष्ठता–सह–फिटनेस के आधार पर की जाती है, इसलिए ऐसी रिक्तियों की कुल संख्या के भीतर संबंधित वरिष्ठता सूची में शामिल सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर विचार किया जाना चाहिए, जिनके विरुद्ध तदर्थ पदोन्नति की जानी है। वरिष्ठता–सह–फिटनेस के सिद्धांत पर, ग्रेडेशन सूची के अनुसार उनकी सामान्य वरिष्ठता के क्रम में और यदि उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है, तो उन सभी को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए।

4. यदि, हालांकि, वास्तविक रिक्तियों की सीमा के भीतर उपयुक्त पाए गए एससी/एसटी उम्मीदवारों की संख्या उनके हिस्से में आने वाली पहचानी गई रिक्तियों की संख्या से कम है, यदि रिक्तियां ऊपर (2) के अनुसार नियमित आधार पर भरी जाती हैं तो अतिरिक्त अनुरोधित सीमा तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का पता वरिष्ठता सूची में नीचे जाकर लगाया जाना चाहिए, बशर्ते वे पात्र हों और ऐसी तदर्थ नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाएं। यह प्रक्रिया हर उस अवसर पर अपनाई जानी चाहिए जब तदर्थ नियुक्ति का सहारा लिया जाता है।

xx xx xx

7. नियमित पदोन्नति के लिए विवरणिका में निर्धारित प्रक्रियाएं और निर्देश अंततः लागू होते रहेंगे।"

6. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तदर्थ पदोन्नति से संबंधित एक और कार्यालय ज्ञापन 30.9.1983 को जारी किया गया था जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए विचार का क्षेत्र पांच गुना तक सीमित था। प्रासंगिक खंड इस प्रकार है:

"2. यह निर्णय नहीं लिया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जो वास्तविक रिक्तियों की संख्या के भीतर हैं, उन्हें वरिष्ठता सह फिटनेस के सिद्धांत पर उनकी सामान्य वरिष्ठता के अनुसार माना जाना चाहिए और यदि उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है, तो तदर्थ आधार पर उन सभी को पदोन्नत किया जाना चाहिए । हालाँकि, यदि वास्तविक रिक्तियों की सीमा के भीतर उपयुक्त पाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या उनके हिस्से में आने वाली पहचानी गई रिक्तियों की संख्या से कम है, तो आवश्यक सीमा तक अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को वरिष्ठता सूची में नीचे जाकर तैनात किया जाना चाहिए , लेकिन किसी विशेष अवसर पर रिक्तियों की संख्या के 5 गुना के भीतर, निश्चित रूप से, उनकी पात्रता और फिटनेस के अधीन।

7. ***बासुदेव अनिल*** का आदेश दिनांक 30.4.1983 और 30.9.1983 के कार्यालय ज्ञापनों से संबंधित था जिसमें अपील की अनुमति दी गई थी और यह माना गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या को कुल संख्या के पांच गुना तक सीमित करने की शर्त थी। दिनांक 30.9.1983 के कार्यालय ज्ञापन में दी गई ऐसी रिक्तियां कानूनी नहीं हैं। इसे इस प्रकार देखा गया:

"उपरोक्त परिसर में, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या 30 सितंबर, 1983 के बाद के कार्यालय ज्ञापन द्वारा यह कहा जा सकता है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से उनका हक पाने का अधिकार छीन लिया गया है। यह निर्विवाद है कि प्रश्नगत सेवा में आरक्षण का एक निर्दिष्ट प्रतिशत रहा है, और वास्तव में यह अप्रैल, 1983 के कार्यालय ज्ञापन में भी परिलक्षित हुआ था, जिसमें उप–प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान था। अनौपचारिक आधार पर, हमें 30 सितंबर, 1983 के दूसरे ज्ञापन को जारी करने का कोई कारण नहीं दिखता, जिसने वास्तव में 30 अप्रैल, 1983 के कार्यालय ज्ञापन के तहत आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रदत्त अधिकारों को छीन लिया है, और जो

संवैधानिक आदेश के अनुरूप भी है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हम कार्मिक विभाग में गृह मंत्रालय द्वारा जारी 30 सितंबर, 1983 के बाद के कार्यालय ज्ञापन को रद्द करते हैं और इस अपील को स्वीकार करते हैं।

8. ***बासुदेव अनिल*** मामले में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.9.1983 को 15.3.2002 को वापस ले लिया गया और यह माना गया कि तदर्थ पदोन्नति दिनांक 30.4.1983 के निर्देशों के अनुसार विनियमित की जाएगी। कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15.3.2002 का प्रासंगिक खंड इस प्रकार है:

"2. सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 7.9.2000 को अपने फैसले में भारत संघ और अन्य बनाम श्री. बासुदेव अनिल और अन्य (सिविल अपील संख्या 1194/1992) ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/14/83– स्था.(एससीटी) दिनांक 30.9.1983 को रद्द कर दिया है। इसलिए, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ओ.एम. क्रमांक 36011/14/83– स्था.(एससीटी) दिनांक 30.9.1983 तत्काल प्रभाव से को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार तदर्थ पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के दावों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के ओ.एम. संख्या 36011/14/83– स्था. (एससीटी) दिनांक 30.4.1983 में निहित निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। ।"

9. दिनांक 22.4.1992 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें दिनांक 24.12.1980 के कार्यालय ज्ञापन की निरंतरता में चयन द्वारा पदोन्नति के लिए अधिकारियों के विचार का क्षेत्र निर्धारित किया गया था। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

"इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2201 1/3/76–स्था. (डी) दिनांक 24 दिसम्बर 1980 को चयन द्वारा पदोन्नति हेतु अधिकारियों के विचार का क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:–

रिक्तियों की संख्या	विचार किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या
1	5
2	8
3	10
4 या अधिक	रिक्तियों की संख्या का तीन गुना से

यह भी निर्धारित किया गया था कि जहां पसंद के सामान्य क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में एससी/एसटी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, पसंद के क्षेत्र को रिक्तियों की संख्या से पांच

गुना तक बढ़ाया जा सकता है और एससी/एसटी (और कोई नहीं) अन्य) मेरे भीतर आने वाले पसंद के विस्तारित क्षेत्र पर उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध विचार किया जाएगा।एससी/एसटी के संबंध में रिक्तियों की संख्या से पांच गुना विस्तारित क्षेत्र से संबंधित यह प्रावधान ओएम स ख्या, 22011/5/86–स्था. में बरकरार रखा गया है। (डी) दिनांक 10.3.89 एवं 10.4.89 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 22011/1/90–स्था. में भी। (डी) दिनांक 12.10.90 जिसमें 5 और उससे ऊपर की रिक्तियों के लिए सामान्य श्रेणी के लिए विचार का सामान्य क्षेत्र कम कर दिया गया था,

2. इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इरादा उन सभी मामलों में रिक्तियों की संख्या का पांच गुना विस्तारित क्षेत्र रखने का है जहां छोटे आकार के सामान्य क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में एससी/एसटी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। एक रिक्ति के लिए, चूंकि सामान्य क्षेत्र स्वयं 5 यानी रिक्तियों की संख्या से पांच गुना है, इसलिए क्षेत्र का विस्तार करने का कोई इरादा नहीं है। रिक्तियों के लिए सामान्य क्षेत्र और विस्तारित क्षेत्र तदनुसार निम्नानुसार होंगे:

रिक्तियों की संख्या	सामान्य क्षेत्र	एससी/एसटी के लिए विचार क्षेत्र
1	5	
2	8	
3	10	
4	12	
5 और उससे ऊपर	रिक्तियां की संख्या का दोगुना+ 4	रिक्तियां की संख्या का 5 गुना

10. इसके बाद, दिनांक 6.1.2006 को एक और कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया। विचाराधीन क्षेत्र के आकार की समीक्षा के बाद इसे निम्नानुसार सूचित किया गया:

"चयन द्वारा पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र का आकार डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/1/90–स्था. डी दिनांक 12 अक्टूबर 1990 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो ओएम संख्या 22011/1/90–स्था–(डी) दिनांक 22 अप्रैल 1992 के साथ पढ़ा जाए" इस प्रकार है:

रिक्तियों की संख्या	सामान्य आकार का क्षेत्र के लिए विचार	एससी/एसटी के लिए विस्तारित क्षेत्र
1	5	5

2	8	10
3	10	15
4	12	20
5 और उससे ऊपर	रिक्तियों की संख्या का दोगुना	रिक्तियों की संख्या 5 गुना

xx xx xx

2. ..... तदनुसार, विचार क्षेत्र के आकार की समीक्षा की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। संशोधित संदर्भ में विचार क्षेत्र का आकार आवश्यकता से अधिक बड़ा होने से अनावश्यक कागजी काम होगा, जिससे डीपीसी बुलाने में भी देरी हो सकती है। हालाँकि, पैनल में शामिल उन अधिकारियों के खिलाफ एक विस्तारित पैनल देने के लिए विभाग/कैडर प्राधिकारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विचार का क्षेत्र अभी भी पर्याप्त व्यापक होना बाकी है, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं या शीघ्र ही आगे बढ़ने की उम्मीद है; जो सेवानिवृत्त हो गए हैं या रिक्ति वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त होंगे या जिन्होंने पदोन्नति से इनकार कर दिया है और वंचित हैं, यह आकार फीडर ग्रेड के उन अधिकारियों की देखभाल के लिए भी पर्याप्त होना चाहिए जिनके मामले 'सीलबंद कवर' में रखे जाने हैं और उनके मामले भी जो निर्धारित बेंचमार्क को पूरा नहीं करते हैं। इस प्रकार, विचार क्षेत्र के आकार को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

3. मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है। उपरोक्त पैरा–2 में दिए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए, विचाराधीन क्षेत्र के आकार से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:

11. सुश्री भाटी का तर्क यह है कि **यू.पी. राज्य विद्युत परिषद एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ** में आदेश एक सहमति आदेश है, जिसे मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है, जो आदेश के निम्नलिखित ऑपरेटिव भाग से स्पष्ट है:

“उपरोक्त हलफनामे में दिए गए कथनों के मद्देनजर, हमारे सामने रखे गए विभिन्न प्रश्नों पर गौर करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं के तर्कों को बोर्ड द्वारा काफी हद तक पूरा किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने उपरोक्त हलफनामे में अपनाए गए रुख के मद्देनजर, उच्च न्यायालय का निर्णय निरर्थक हो गया है और यह प्रभावी नहीं होगा। अपील का निपटारा किसी भुगतान के आदेश के बिना किया जाता है।"

12. ***सी.डी. भाटिया*** मामले में, इस न्यायालय ने ***यू.पी. राज्य विद्युत परिषद एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ*** के आदेश के आधार पर एक आदेश पारित किया था, जिसमें याचिकाकर्ता को निर्धारित

कानून को लागू करने के लिए सरकार से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई थी। उक्त आदेश का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:

"हालाँकि, हमारा विचार है कि यूपी राज्य विद्युत परिषद के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून भारत संघ सहित सभी प्राधिकरणों के लिए बाध्यकारी है। यदि सलाह दी जाए तो याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करने के लिए सरकार से संपर्क कर सकता है। विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।"

13. यह तर्क दिया गया है कि ***सी.डी. भाटिया*** का आदेश प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने वाली एक विशेष अनुमति याचिका में एक आदेश है, इस प्रकार इसे एक मिसाल नहीं माना जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा ***कुन्हायमद बनाम केरल राज्य*** और ***खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम श्री महादेश्वरा सहकार सकारे कारखाने लिमिटेड*** में पारित आदेश पर भरोसा किया गया है । आगे यह तर्क दिया गया कि दोनों आदेश, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ***बासुदेव अनिल*** में संदर्भित किया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि ***यू.पी. राज्य विद्युत परिषद एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ*** में आदेश रियायत पर आधारित था और ***सी.डी. भाटिया*** में आदेश एक आदेश था। विशेष अनुमति याचिका को न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया। इसके अलावा, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वास्तविक पदोन्नति से संबंधित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.12.1980 और दिनांक 22.4.1992 को न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया।

14. आगे यह भी तर्क दिया गया है कि प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों के लिए विचार का एक अलग क्षेत्र नहीं हो सकता है। विचार का क्षेत्र वरिष्ठता सूची में आने वाले उम्मीदवारों के संबंध में है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रिक्तियों के पांच गुना तक विचार क्षेत्र तक बढ़ाने की छूट दी गई थी। यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रभाव यह होगा कि सभी पात्र उम्मीदवार, वरिष्ठता सूची में किसी भी स्थान पर हों, विचार के क्षेत्र में आएंगे, भले ही वे सूची में सबसे नीचे हों, विचार क्षेत्र का ऐसा निर्माण सेवा में दक्षता के अनुरूप नहीं है। फिर भी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विचार क्षेत्र को पांच गुना तक बढ़ाना मनमाना, तर्कहीन या अवैध नहीं कहा जा सकता है, जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके रद्द किया जा सकता है।

15. ***बासुदेव अनिल*** में मामला दिनांक 30.9.1983 के कार्यालय ज्ञापन तक ही सीमित था, जो तदर्थ पदोन्नति के संबंध में दिनांक 30.4.1983 के कार्यालय ज्ञापन का स्पष्टीकरण था। नियमित या वास्तविक पदोन्नति कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.12.1980 या समय–समय पर जारी अन्य कार्यालय ज्ञापनों द्वारा की जानी चाहिए।

16. कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.4.1983 को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.12.1980 में संशोधन नहीं करना था। यह कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16.4.1979 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में था, जिसमें विभागों से जनहित में अपरिहार्य होने पर तदर्थ पदोन्नति का सहारा लेने के लिए कहा गया था। नियमित पदोन्नति के लिए, विवरणिका में निर्धारित प्रक्रियात्मक निर्देश लागू होने थे (ओएम दिनांक 30.4.1983 का खंड 7)। इसलिए, कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.4.1983 केवल तदर्थ पदोन्नति से संबंधित था, न

कि वास्तविक पदोन्नति से। अत: मौलिक पदोन्नति के संबंध में कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.12.1980 लागू रहेगा।

17. दूसरी ओर, उम्मीदवारों के वकील डॉ. एमपी राजू ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया और तर्क दिया कि सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय में अधीक्षक के लगभग 29 पद हैं जिन्हें भरा जाना आवश्यक है। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार. उक्त पद केवल इस कारण से नहीं भरे गए हैं कि उचित संख्या में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार विचाराधीन क्षेत्र में नहीं आते हैं। इसलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की नीति को प्रभावी अर्थ देने के लिए उच्च न्यायालय का आदेश निष्पक्ष और उचित है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्भरता तीन आदेशों पर आधारित है। इसके अलावा, ***आर.के. सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य*** के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया गया है। यह तर्क देने के लिए कि आरक्षण के माध्यम से पदों या रिक्तियों को भरना पद–आधारित होना चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित रोस्टर बिंदु केवल अनुसूचित जनजातियों द्वारा ही भरे जाने चाहिए। इस प्रकार, आरक्षण के सिद्धांत को लागू करते हुए, सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणी को अलग–अलग और बिना क्लब किए व्यवहार करना होगा। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए प्रचलित सामान्य वरिष्ठता सूची के बजाय प्रत्येक श्रेणी यानी सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग क्षेत्र होना चाहिए। तदनुसार, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए विचार का एक अलग क्षेत्र वास्तव में आरक्षण नीति को प्रभावी बनाने का एकमात्र तरीका है।

18. यह भी तर्क दिया गया है कि वर्ष 2002 के बाद, यदि बैकलॉग रिक्तियों को नहीं भरा गया है, तो संघ उन रिक्तियों को अनारक्षित कर सकता है, जिससे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के हित खतरे में पड़ सकते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि विचार का संयुक्त क्षेत्र इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 16 (4ए) का घोर उल्लंघन है । पदोन्नति कोटा में बैकलॉग रिक्तियों को दाखिल न करने का मूल कारण विचार के एक सामान्य क्षेत्र का अनुप्रयोग है जिसे पदोन्नति के लिए पसंद के क्षेत्र के रूप में तैयार किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामला पदोन्नति कोटा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष अभियान का मामला है, इसलिए, पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र तैयार करते समय सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को शामिल करना अतार्किक प्रतीत होता है और आरक्षण के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है। इसलिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को शामिल किए बिना प्रत्येक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए अलग–अलग गैर–संयुक्त विचार क्षेत्र तैयार किया जाना चाहिए। चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य पर निर्भरता रखी गई है। जिसमें विचार के क्षेत्र को सीमित करने वाला वर्गीकरण अवैध, अनुचित और मनमाना पाया गया। ***अजीत सिंह और अन्य (II) बनाम पंजाब राज्य और अन्य***, ***एसबी माथुर और अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य*** और ***डिडिला श्रीनिवास शर्मा और अन्य बनाम वी. क्रिसोलाइट*** के संदर्भ में तर्क है कि विचार के क्षेत्र को सीमित करना और उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना, गैर–मनमाना, तर्कसंगत और प्राप्त किए जाने वाले

उद्देश्य के साथ उचित संबंध रखने वाला होना चाहिए। **डॉ. राजू ने पी. शेषाद्री बनाम भारत संघ और अन्य** पर भी भरोसा जताया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के लिए संयुक्त चयन सूची पात्र अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को बाहर कर आरक्षण के विचार क्षेत्र के उद्देश्य को विफल कर देगी।

19. हमने पार्टियों के विद्वान वकीलों को सुना है और पाया है कि उम्मीदवारों के पूरे मामले को अस्थिर तरीके से पेश किया गया है।

20. ***पी. शेषाद्रि*** में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.12.1980, अन्य कार्यालय ज्ञापनों के साथ विचार का विषय था। इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

"11 ... ..पैरा 2.3.2 का अगला खंड (ii) कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10-3-1989 में विचार किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ चयन केवल उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों से किया जाएगा जो कार्मिक और एआर विभाग द्वारा ओएम नंबर 22011 दिनांक 24-12-1980 द्वारा निर्धारित विचार के सामान्य क्षेत्र के भीतर हैं। इसमें आगे विचार किया गया है कि जहां पसंद के सामान्य क्षेत्र में (पर्याप्त संख्या में) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, वहां इसे रिक्तियों की संख्या से पांच गुना तक बढ़ाया जा सकता है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों (और किसी अन्य को नहीं) पसंद के विस्तारित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों पर भी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार किया जाना चाहिए। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए, दूसरों के समान योग्यता के आधार पर प्राप्त किया जाता है, तो उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम है, तो अंतर को इन समुदायों के उम्मीदवारों का चयन करके पूरा किया जाना चाहिए, जो योग्यता और बेंचमार्क के बावजूद विचार के क्षेत्र में हैं, लेकिन जिन्हें पदोन्नति के लिए माना जाता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारियों को विस्तारित क्षेत्र के भीतर उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ पदोन्नति के लिए चुना गया है। हालाँकि, पसंद को सामान्य पसंद के क्षेत्र से चुने गए अन्य सभी अधिकारियों के नीचे रखा जाएगा... ।"

21. हमने पाया है कि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय वास्तविक विवाद से चूक गए हैं। भारत सरकार ने एक विशेष अभियान के रूप में पदोन्नति कोटा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 26.8.2004 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। ऐसा कार्यालय ज्ञापन सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय या भारत तिब्बत सीमा पुलिस से संबंधित नहीं था बल्कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से संबंधित था। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के कार्यालय में उम्मीदवारों ने अधीक्षकों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। ऐसे अभ्यावेदन को 4.2.2005 को खारिज कर दिया गया। अभ्यावेदन को अस्वीकार करने का कारण यह था कि अधिकारी 2003 में स्थानांतरण के आधार पर अंतर-आयुक्तालय पर निरीक्षकों के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली क्षेत्र में शामिल हुए थे। इसलिए, वे इतने कनिष्ठ हैं कि उन्हें विचार के विस्तारित क्षेत्र में भी शामिल नहीं किया जा सकता है।

22. इस तरह के संचार को उम्मीदवारों द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के तहत एक आवेदन द्वारा चुनौती दी गई थी। **यूपी राज्य विद्युत परिषद एससी/**एसटी कर्मचारी कल्याण संघ**,** ***सीडी भाटिया*** और **बासुदेव अनिल** में तीन आदेशों पर भरोसा रखा गया। उक्त आदेशों पर विचार करते हुए, न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित निष्कर्ष दिए:

"27. हालाँकि, हम पाते हैं कि DoPT हमारे सामने एक पार्टी के रूप में नहीं बना है। जो भी हो, तथ्य यह है कि जो आवेदक विचार के दायरे में नहीं थे, फिर भी एसटी डी–आरक्षण या उसके बाद बैकलॉग रिक्तियों के लिए अधूरे कोटा के मद्देनजर उत्तरदाताओं द्वारा अपनाई जाने वाली सही प्रक्रिया नहीं है।

28. हमारे ध्यान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून भी है कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तदनुसार, जब प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के कोटे का अपेक्षित प्रतिशत पूरा हो जाएगा तो पद–आधारित रोस्टर प्रभावी हो जाएगा। एसटी के लिए कोटा भरते समय उपरोक्त पद्धति भी लागू होगी।

29. परिणामस्वरूप, उपरोक्त कारणों से, इस ओ ए को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे डीओपीटी के दिनांक 15.3.2002 के कार्यालय ज्ञापन के तहत तदर्थ पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के साथ जो व्यवहार किया गया है, उसे नियमित पदोन्नति में भी बढ़ाया जाए और इस आदेश की एक प्रति अग्रेषित करने के मामले को उठाएं। हमारी टिप्पणियों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद और डीओपीटी उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए निर्णय पर डीओपीटी को अपने आरक्षित कोटे में अधीक्षकों के पदों पर पदोन्नति के लिए आवेदकों पर विचार करना होगा और तब तक, यदि पहले से ही नहीं किया गया है, तो न ही डी– एसटी श्रेणियों के लिए बैकलॉग रिक्तियों को आरक्षित करें और न ही इन पदों को किसी भी तरह से भरें। कोई लागत नहीं।"

23. मूल आवेदन में लगाया गया आदेश दिनांक 4.2.2005 का आदेश था जिसमें पदोन्नति के लिए कुछ उम्मीदवारों के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था कि उम्मीदवार वर्ष 2003 में अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण के आधार पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (दिल्ली जोन) में निरीक्षक के रूप में शामिल हो गए हैं। न्यायाधिकरण ने अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण के कारण वरिष्ठता के प्रश्न की जांच नहीं की है। दिनांक 4.2.2005 के आदेश को रद्द कर दिया गया और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को तदर्थ पदोन्नति के साथ–साथ नियमित पदोन्नति में भी समान व्यवहार देने का निर्देश जारी किया गया।

24. न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय के बाद, डीओपीटी ने न्यायाधिकरण के दिनांक 19.10.2005 के आदेश से स्वतंत्र 6.1.2006 को विचार क्षेत्र के आकार को अनुकूलित करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए, जिस पर न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।

25. हमने पाया है कि पदोन्नति की तीन स्थितियाँ हैं जिनकी जाँच करना आवश्यक है। एक बैकलॉग रिक्तियां हैं जिनके लिए 26.8.2004 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। दूसरा, तदर्थ पदोन्नति है जिसके लिए एक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.4.1983 और उसके बाद 30.9.1983 और 7.9.2000 जारी किया गया था। 30.4.1983 के कार्यालय ज्ञापन का खंड 7, जैसा कि ऊपर पुन:

प्रस्तुत किया गया है, विशेष रूप से कहता है कि, नियमित पदोन्नति के लिए, विवरणिका में निर्धारित प्रक्रियाएं और निर्देश लागू होते रहेंगे। नियमित पदोन्नति के लिए, कार्यालय ज्ञापन 24.12.1980, 22.4.1992 और 6.1.2006 को जारी किया गया है जिसमें भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विचार का क्षेत्र निर्धारित किया गया था।

26. बाद में दायर मूल आवेदन में, उम्मीदवारों ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 6.1.2006 को चुनौती दी जो नियमित पदोन्नति के संबंध में है। कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.8.2004 में शामिल बैकलॉग रिक्तियों और कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.12.1980 और/या 6.1.2006 में शामिल नियमित पदोन्नति के बीच कोई समानता नहीं है। इसलिए, न्यायाधिकरण के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों द्वारा दायर बाद के आवेदनों में शामिल मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। अभ्यर्थियों की शिकायत, 2005 के मूल आवेदन संख्या 688 में सबसे पहले केवल बैकलॉग रिक्तियों को भरना था, न कि नियमित या तदर्थ पदोन्नति। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय तदर्थ पदोन्नति और विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के माध्यम से की जाने वाली नियमित पदोन्नति के बीच अंतर करने से चूक गए थे।

27. ***पी. शेषाद्री*** मामले में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.1980 के कार्यालय ज्ञापन की वैधता को बरकरार रखा गया है। चूंकि कार्यालय ज्ञापन की वैधता बरकरार रखी गई है, इसलिए बैकलॉग रिक्तियों या तदर्थ पदोन्नति को भरने के लिए कार्यालय ज्ञापन के आधार पर वैधता का दोबारा परीक्षण नहीं किया जा सकता है।

28. बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष अभियान और आरक्षित और अनारक्षित दोनों श्रेणियों के उम्मीदवारों को नियमित पदोन्नति के बीच अंतर बहुत स्पष्ट है। नियमित आधार पर पदोन्नति के माध्यम से रिक्तियों को भरते समय एक डीपीसी का गठन किया जाता है और विचाराधीन क्षेत्र में आने वाले उम्मीदवारों की प्रोफ़ाइल तैयार की जाती है। लेकिन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष अभियान में, ऐसी कवायद बेमानी हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक विशेष अभियान में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले सभी उम्मीदवार अनिवार्य रूप से एक ही आरक्षित श्रेणी के होंगे, अन्यथा यह एक विशेष अभियान नहीं रह जाएगा।

29. इसी प्रकार, तदर्थ आधार पर रिक्तियों को भरने के लिए की गई कवायद, नियमित पदोन्नति देने के लिए की गई कवायद से अलग है। उच्च न्यायालय के साथ–साथ न्यायाधिकरण भी दो पहलुओं पर त्रुटि में पड़ गया: –

(i) उन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया कि क्या बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान था और क्या उत्तरदाताओं के मामले पर विचार करने में विफलता हुई थी ; और

(ii) उन्होंने तदर्थ पदोन्नति के लिए निर्धारित मानदंड को नियमित पदोन्नति के मामले में लागू किया, हालांकि उम्मीदवारों का मामला अधूरी बैकलॉग रिक्तियों के लिए था। इस मूलभूत त्रुटि के परिणामस्वरूप न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय को उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ा जो उठता ही नहीं था।

इसलिए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालयों के आदेश स्पष्ट रूप से गलत हैं और कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं हैं। फलतः विचाराधीन क्षेत्र को बढ़ाकर नियमित पदोन्नति हेतु पारित आदेश का प्रश्न नहीं उठता, इन्हें अलग रखा जाता है और अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

Bikrant Ranjan